संख्या- 4/एम0एस024(2)/49-3-2014-100(19)/2010टीसी

प्रेषक,

राम किशोर,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता,उ0प्र0,
लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक: 25 मार्च, 2014

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-18 के अधीन आयोजनेत्तर पक्ष में रासायनिक उर्वरकों के अग्रिम भण्डारण हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष किये गये व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक: 664/बीज-उर्वरक, दिनांक 07 अक्टूबर, 2013, 18मार्च,2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि रासायनिक उर्वरकों के अग्रिम भण्डारण योजनान्तर्गत अनुदान दिये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2013-14 के आयोजनेत्तर पक्ष में प्राविधानित धनराशि रू0 100.00 करोड़ (रू0 सौ करोड़ मात्र) के सापेक्ष वर्ष 2012-13 में पूर्व भण्डारण योजनान्तर्गत उर्वरक के परिवहन मद में पीसीएफ द्वारा प्रीपोजीशनिंग उर्वरक परिवहन मद में रू0 80,18,639.00 एवं सामान्य उर्वरक परिवहन मद में रू0 1,87,85,557.35 कुल रू0 2,68,04,196.35 एवं वर्ष 2013-14 में पीसीएफ द्वारा किये गये परिवहन रू0 14,91,93,146.82 एवं अन्य सहकारी संस्थाओं द्वारा किये परिवहन का रू0 1,36,45,830.11 कुल धनराशि रू0 16,28,41,976.93 समेकित धनराशि रू0 18,96,46,173.23 के सापेक्ष पूर्णांक में रू0 18,96,46,173.00 (रूपये अटठारह करोड छानबे लाख छियालिस हजार एक सौ तिहत्तर मात्र) की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :--

2- उपर्युक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि प्रशासनिक विभाग सम्बन्धित को भुगतान से पूर्व पी0सी0एफ0 में कार्यरत आडिट विंग से मा0 मंत्रिपरिषद के निर्णय के तहत जारी शासनादेश के क्रम में धनराशि की अनुमन्यता का परीक्षण करा लेगें।

3- आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0, लखनऊ एवं वित्त नियंत्रक, सहकारिता, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा अपने स्तर से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा जिस प्रयोजन हेतु धनराशि स्वीकृत हुयी है और उक्त धनराशि को अन्य मदों में व्यय कदापि न किया जाय तथा यह भी पुष्टि कर ली जायेगी कि ब्याज तथा भण्डारण शुल्क एवं परिवहन मद के व्यय को प्रस्तावित अनुमोदित योजना के अनुसार ही स्वीकृत किया जा रहा है।

4- उक्त जारी वित्तीय स्वीकृति के अन्तर्गत कोषागार से धन का आहरण विद्यमान व्यवस्था तथा संगत नियमों के अनुसार व्यय की आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

5- पी0सी0एफ0 में कार्यरत आडिट विंग इस शासनादेश द्वारा निर्गत की जा रही धनराशि तथा शासनादेश संख्या-368/49-3-2013-100(19)/2010, दिनांक 25-3-2013 द्वारा स्वीकृति धनराशि के सम्बन्ध में मा0 मंत्रिपरिषद के निर्णय के तहत जारी शासनादेशों के क्रम में धनराशि की अनुमन्यता का परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट दिनांक 31-12-2014 तक उपलब्ध करायेगें।

------2/----

http://shasanadesh.up.nic.in

6- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-18 के अधीन लेखा शीर्षक "2425-सहकारिता-आयोजनेत्तर-00-800-अन्य व्यय-05- रासायनिक उर्वरकों का अग्रिम भण्डारण योजना-00-27-सब्सिडी " के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-2-330/दस-2014, दिनांक: 25मार्च,2014 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(राम किशोर)
संयुक्त सचिव।

पृष्ठांकन संख्या- 4/एम0एस024(3)/49-3-2014,तद् -दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित: --

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय,उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
3- वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी, आयुक्त एवं निबन्धक, सहकारिता,उ0प्र0,लखनऊ।
4- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-2/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
5- प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0एफ0, लखनऊ।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम किशोर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in